राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (30) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/ तक.अनु.समिति/ 2015–16 जयपुर, दि. 20.06.2016

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2016 को आयोजित की गई। जिसमें उपस्थिति अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर सलंग्चन है।

बैठक में एजेण्डा वार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:–

बिन्दु संख्या–1 गत् बैठक दिनांक 12.05.2016 में लिए गये निर्णय/निर्देशों की पालना/कार्यवाही पर चर्चा।

गत् बैठक दिनांक 12.05.2016 के कार्यवाही विवरण में वर्णित मुख्य निर्देश/बिन्दुवार पुनः समीक्षा की गई। ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2016 दिनांक 12.05.2016 आयोजित बैठक में गठित कमेटी के स्तर से संशोधित अन्तिम प्रारूप पर 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 5 अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् 10 सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, 10 सचिव एवं 10 सरपंच गण की 15 दिवस में कार्यशाला आयोजित कर आवश्यक सुझाव प्राप्त किये जावे। कार्यशाला उपरान्त यथोचित सुझावों का समावेश कर संशोधित अंतिम प्रारूप प्रशासनिक अनुमोदन समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

बिन्दु संख्या–2 ग्रामीण विकास के भूकम्प रोधी भवन/ प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण कार्यों हेतु ईंट जोडाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए रेट्रोफिटिंग आदि की 2 मार्गदर्शिका पुस्तिका पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन।

ग्रामीण विकास के भूकम्प रोधी भवन/ प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण कार्यों हेतु ईंट जोडाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए रेट्रोफिटिंग आदि की तैयार की गई दो मार्गदर्शिका पुस्तिकाए आईएस मानक के अनुसार आवश्यक तकनिकी मापदण्ड आदि का समावेश करते हुए तैयार की गई हैं। इन पुस्तिकाओं का संभाग स्तरीय सभी अधिशाषी अभियन्ताओं को अध्ययन कर आवश्यक सुझाव आदि एक माह में देने हेतु निर्देश दिए गये। तदनुपरान्त पुस्किाओं का अन्तिम रूप दिया जाकर तकनिकी अनुमोदन समिति से अनुमोदन कराये जाने के निर्देश दिए गये।

बिन्दु संख्या–3 पक्के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन एवं टास्क निर्धारण के कम में बीएसआर सॉफ्ट के दर विश्लेषण में संशोधन की जांच तथा दर तय करने बाबत जिला दर निर्णायक समिति को अधिकृत करने पर चर्चा।

पक्के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन एवं टास्क निर्धारण के कम में बीएसआर सॉफ्ट के दर विश्लेषण में संशोधन की जांच तथा दर तय करने बाबत जिला दर निर्णायक समिति को अधिकृत करने के संम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई। अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन करने की स्थिति में श्रमिक दर का निर्धारण जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति को अधिकृत

करने का निर्णय लिया गया। अर्द्धकुशल श्रमिक की अधिकतम दर क्षैत्र में प्रचलित सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर की अकुशल श्रमिक की दर तक की सीमा तक (वर्तमान में अधिकतम रू 300/–) तय की जा सकेगी। कार्य विशेष के लिए अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन से कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ निर्धारित भाग से अधिक टास्क सम्पादन पर अर्द्धकुशल श्रमिकों को अधिक टास्क के अनुसार अधिक श्रम राशि प्राप्त हो सकेगी। अतः अर्द्धकुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित टास्क के अनुसार समानुपातिक अधिक टास्क, टास्क सम्पादन पर उक्तानुसार जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित राशि की सीमा तक भुगतान किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या–4 बीएसआर साफ्टवेयर में संसोधन/अपडेशन।

बैठक दिनांक 12.05.2016 को बिन्दु संख्या 2 पर गठित उपसमिति को बीएसआर सॉफ्टवेयर में संसोधन/अपडेशन से सम्बन्धित निम्न मुख्य विवरण की जांच कर दिनांक 25.05.2016 तक रिर्पोट/समुचित दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के निर्देशो की पालना बैठक दिनांक तक नही होने पर असंतोष जाहिर करते हुए 7 दिवस में बीएसआर सॉफ्ट में उचित संशोधन/दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के पुनः निर्देश दिए गये।

- बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/वर्षवार श्रम/सामग्री/उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का प्रावधान करने तथा आफ लाईन की गई गणनाओं/ विवरण का परीक्षण,
- बीएसआर साफ्ट सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए जिलो द्वारा निर्धारित दर पर अध्ययन/ परीक्षण एंव
- साफ्टवेयर दर विश्लेषण में विसगंत आईटमों(परिवहन एंव इन्टरलोकिंग ब्लॉक) के दर विश्लेषण तैयार।
- विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र कमांक एफ 27(78)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/दर विश्लेषण /2012–13 दिनांक 25 जून, 2013 के द्वारा लिए गये निर्णय एवं आदेश कमांक एफ 27(36)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआरसॉफ्ट /2015–16 दिनांक 11.01.2016 द्वारा अनुमत की गई गतिविधि के दर विश्लेषण का परीक्षण कर मिट्टी खुदाई कार्य मशीन (टेक्टर मय स्क्रेपर, जेसीबी एवं डोजर) से करवाये जाने हेतु समुचित दर विश्लेषण/विवरण आदि प्रस्तुत करने बाबत।

बिन्दु संख्या–5 विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रगती के दोरान आवश्यक परीक्षण व जांच तृतीय पक्ष से करवाये जाने पर चर्चा।

विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रगती के दोरान आवश्यक परीक्षण व जांच तृतीय पक्ष से करवाये जाने पर विस्तार से चर्चा की गई एंव परीक्षण व जांच कराने के बिन्दु निम्नानुसार निर्धारित किये गये।

1. **ग्रेवल सडकः–** ग्रेवल सडक निर्माण कार्यो में ग्रेवल बिछाने से पूर्व आपूर्ति की गई ग्रेवल का प्लास्टिसिटी इन्डेक्स (पीआई 6 से कम) निर्धारित स्तर की है या नहीं, सुनिश्चित करने हेतु पीआई टेस्टिंग कराकर रिपोर्ट के उपरान्त ही, ग्रेवल बिछाने की अनुमति दी जावे, अर्थात् बिना पी.आई. की टेस्टिंग के आपूर्ति की गई ग्रेवल को सडक निर्माण में उपयोग में नहीं लिया जावे।
2. **इन्टरलॉकिंग टाईल सडकः–** इन्टरलॉकिंग टाईल सडक निर्माण कार्यो में टाईल आपूर्ति के समय रेन्डम बेस टाईल की क्षमता (M:30) हेतु आईएस कोड– 15658 के बिन्दु संख्या– 8 के प्रावधान अनुसार सेम्पल लेकर कम्प्रेसिंव टेस्ट कराकर हीं उपयोग में ली

जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी टाईलों की निर्धारित गुणवत्ता की सप्लाई करने का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे टाईलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आपूर्तिकर्ता की भागीदारी हो। इन्टरलॉकिंग टाईल सडक निर्माण, कार्य के उपरान्त भी प्रावधान अनुसार टाईलों के सेम्पल लेकर पुनः टेस्ट कराया जाकर सेम्पल निर्धारित गुणवत्ता के नहीं पाये जावे तो आपूर्तिकर्ता को तदनुसार टाईलों का भुगतान नहीं किया जावे।

3. **सीमेन्ट सडकः–** सीमेन्ट सडक निर्माण के दौरान हर रोज निर्मित की जा रही सीमेन्ट सडक के कम से कम 6 क्यूब टेस्टिंग हेतु लिये जावे। कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित 28 दिवस के उपरान्त हर 250 मीटर पर एक कोरकटर टेस्ट कराये जाने के उपरान्त ही कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।
4. **ईट खरंजा सडकः–** ईट खरंजा सडक निर्माण कार्यो में ईटों की आपूर्ति के समय रेन्डम बेस ईट की क्षमता हेतु सेम्पल लेकर कम्प्रेसिंव स्ट्रेन्थ आदि टेस्ट कराकर ही उपयोग में ली जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी ईंटों की निर्धारित गुणवत्ता की सप्लाई करने का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे ईटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आपूर्तिकर्ता की भागीदार हो। यदि सेम्पल निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाये जावे तो आपूर्तिकर्ता को तदनुसार भुगतान नहीं किया जावे।

बिन्दु संख्या–6 तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतू कार्य के कन्टीजेन्सी (2 प्रतिशत) मद राशि मे से 1 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर आरक्षित रखने बाबत चर्चा।

पंचायती राज संस्थाओ द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रगतिरत /निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण आवश्यक है। इस हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका एवम पंचायती राज अधिनियम 1996 तथा योजना से सम्बधित दिशा निर्देशों में प्रावधान किया हुआ होता है, परन्तु निरीक्षण व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार की राशि का पृथक से प्रावधान नहीं है।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यो के तकमिनों में मूल लागत के साथ अन्य व्यय के लिये कन्टीजेन्सी 2 प्रतिशत सम्मिलित किया जा रहा है। यह कन्टींजेन्सी राशि निम्न मदों पर व्यय किया जा सकता हैं।

1 कार्य की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, आवश्यक होने पर ड्राइंग तैयार कराना।
2 मूल्य वृद्धि के कारण अधिक व्यय।
3 अधिक/अतिरिक्त मात्रा एंव एक्स्ट्रा आईटम।
4 कार्य से सम्बन्धित कोई भी ऐसा छोटा आईट, जो तकमीने मे लेने से रह गया परन्तु यह आईटम मुख्य कार्य के बेहतर निष्पादन के लिए आवश्यक है, का निष्पादन करना।
5 निविदा विज्ञापन का प्रकाशन।
6 गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लेबोरेट्री में सामग्री टेस्टिंग पर होने वाले व्यय।
7 अन्य मद जो सम्बन्धित योजना के निर्देशानुसार कन्टींजेन्सी में अनुमत हों।
8 कार्य का बोर्ड स्थापित करना।
9 कार्य की योजना, डिजाईन या विनिर्देश और उनके निष्पादन संभवतः उपगत होने वाली लागत का प्राकलन।

इस व्यवस्था हेतु निर्माण कार्यों के तकमिने में प्रावधित कन्टीजेन्सी 2 प्रतिशत में से 1 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं आवश्यक गुणवत्ता जांच/ परीक्षण हेतु आरक्षित रखी जाने का निर्णय लिया गया। उक्त राशि से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता हेतु तृतीय पक्ष जांच/निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, सेम्पल टेस्टिंग, मोनेटरिंग हेतु वाहन व आदि गतिविधियों पर व्यय की जा सकेगी।

बिन्दु संख्या–7 ग्रेवल सडकों की उम्र निर्धारण एंव क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत एंव पुनः ग्रेवल कार्य को अनुमत करने बाबत चर्चा।

ग्रेवल सडकों की उम्र निर्धारण एंव क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत एंव पुनः ग्रेवल कार्य के लिए आवश्यक मापदण्ड/दिशा निर्देश तय करने हेतु निम्न अधिकारीयों की गठित समिति द्वारा आईएस कोड एंव महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी आदेश आदि का अध्ययन/परिक्षण कर रिर्पोट 1 माह में शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

1 श्री हितबल्लव शर्मा, प्रभारी अधिकारी, श्री योजना, ग्रामीण विकास
2 श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
3 श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् टोंक।
4 श्री प्रदीप गौढ़, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् भरतपुर।
5 श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास।

बिन्दु संख्या–8 ग्रामीण क्षैत्रो में निर्माणाधिन ग्रेवल सडकों की चौड़ाई बढ़ाने/निर्धारण के सम्बंध में।

बिन्दु संख्या 7 में गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षैत्रो में गांव की आन्तरिक ग्रेवल सडक निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई का निर्धारण हेतु सूझाव/मापदण्ड सम्बन्धी रिर्पोट 1 माह में शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–9 सामग्री क्रय व्यवस्था– बीएसआर दर पर सामग्री के चिन्हिकरण पर चर्चा।

उडीसा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री की क्रय व्यवस्था हेतु प्रचलित प्रकिया के संम्बन्ध में अधिक्षण अभियन्ता द्वारा विस्तार से बताया गया कि पंचायत समितिवार वेन्डरस् (आपूर्ती कर्ताओं) का एक पेनल जिला स्तर पर निर्धरित किया जाता है। इन वेन्डरस् के माध्यम से सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा बीएसआर दर तक आवश्यक सामग्री का क्रय कर सकते है। वेन्डरस् के वाणज्यिक प्रमाण पत्र आपूर्ती करने की क्षमता, आवश्यक टिन नम्बर, आदि का जिला स्तर पर परिक्षण/जांच चयन के समय किया जाता है। यह व्यवस्था राज्य में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा सभी सदस्यों को गुणावगुण के आधार पर विचार कर समुचित सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये एंव साथ ही मध्यप्रदेश राज्य में प्रचलित सामग्री क्रय/आपूर्ती व्यवस्था के अध्ययन हेतु एक दल मध्यप्रदेश भेजने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 7 में गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षैत्रो में गांव की आन्तरिक ग्रेवल सडक निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई का निर्धारण हेतु सूझाव/मापदण्ड सम्बन्धी रिर्पोट 1 माह में शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये

अन्य बिन्दु– जिलो द्वारा पुनः निर्धारित/ अनुमोदित श्रम/सामग्री/ उपकरणो की बेसिक दरों की समिक्षा पर पाये गये अधिक व कम दर वाले जिलो (गंगानगर, अजमेर, बीकानेर तथा करोली व डूंगरपुर) जिलो में अन्य जिले (जौधपुर, टोंक, भरतपुर, जालौर व कोटा) के अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट एंव टिप्पणीयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्बन्धित जिला निर्णायक

समिति द्वारा निर्धारित अधिकांश आईटमो की दरे सूसंगत पाई गई। जांचकर्ताओं ने यह भी अवगत कराया गया कि जिला निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों से राजकोष को किसी प्रकार की हानि नही हो रही है। कुछ आईटमों की दरें आंशिक अधिक पाई गई जिन्हे जांच कर्ता (अधिशाषी अभियन्ता) द्वारा सम्बन्धित जिला अभियन्ता को सुसंगत करने हेतु सूझाव दिया गया। इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही एंव जांच रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं पर टिप्पणी हेतु भिजवाने के निर्देश दिये गये।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
10. संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्णायक समिति, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
14. अधिशाषी अभियंता (अभि), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंरावि।
16. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
17. श्री हितबल्लव शर्मा, प्रभारी अधिकारी, श्री योजना, ग्रामीण विकास
18. श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
19. श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, अधिशाषी अभियन्ता, ग्रावि।
20. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् टोंक।
21. श्री प्रदीप गौढ़, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् भरतपुर।
22. श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास।
23. सहायक प्रौग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग, को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
24. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में तकनीकी अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 15.06.2016 में उपस्थित संभागियों का विवरण :–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	श्री अरून सुराना, अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
2	श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि।
3	श्री बीएस पवार, संयुक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
4	श्री हितबल्लब शर्मा, प्रभारी अधिकारी, श्रीयोजना, ग्रामीण विकास।
5	श्री कबीर अख्तर, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद अजमेर।
6	श्री संजय सारण, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद जयपुर।
7	श्री प्रदीप गौड, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद भरतपुर।
8	श्री लोकेश दाधीच, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद कोटा।
9	श्री सी.पी बागडी, अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद उदयपुर।
10	श्री राजेश बन्सल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद टोंक।
11	श्री आर के जैन, अधीशाषी अभियंता (आवास), ग्रावि।
12	श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी, (अभि.), ग्रावि।
8	श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी, (अभि.), ग्रावि।